न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर

पीठासीन अधिकारी– श्री बाबूलाल गोयल, RAS।

अपील संख्या 244/2020 जिला–दौसा।

1. रामफूल पुत्र मांग्या।
2. सांवलराम पुत्र कांस्या उर्फ कांशीराम
   जाति मीना निवासी ग्राम गांगल्यावास तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा (राज0)

अपीलान्टस्

बनाम

1. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार रामगढ पचवारा जिला दौसा।
2. कालूराम पुत्र मूल्या जाति मीना निवासी ग्राम बाढकाल्यावास तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।

रेस्पोंडेन्टस्

अपील विरूद्ध आज्ञा उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा दिनांक 29.10.2020 अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत प्रार्थना पत्र संख्या 58/2018

उपस्थित–

1. अधिवक्ता अपीलान्ट पं. श्री रामबाबू शर्मा
2. रेस्पोडेंट संख्या 02 अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट श्री आलोक चौधरी।

निर्णय

दिनांक 22.09.2021

1. यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा के निर्णय दिनांक 29.10.2020 के खिलाफ दिनांक 6.11.2020 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा द्वारा शीर्षक प्रार्थना पत्र धारा 136 एल..आर. एक्ट रामफूल वनाम राजस्थान सरकार में निर्णय दिनांक 29.10.2020 पारित कर प्रार्थना पत्र धारा 136 खारीज किया गया।
3. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.10.2020 से व्यथित होकर अपीलान्ट् द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट् स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.10.2020 को निरस्त का प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा को रिमाण्ड फरमाये जाने की प्रार्थना की।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट् की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्टस् के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलांट रामफूल वगैरा द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनिख्यम 1956 के तहत अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा के समक्ष पेश कर खसरा नम्बर 18 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा भूमि वाकै ग्राम बाढ काल्यावास तहसील रामगढ जिला दौसा में स्थित है को मुताबिक राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने की प्रार्थना किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा द्वारा दिनांक 14.6.2018 को मुताबिक जांच रिपोर्ट तहसीलदार के आधार पर प्रकरण को धारा 136 एल0आर0उक्ट के तहत इन्द्राज दुरूस्ती का मानते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध रेस्पोडेंट संख्या 02 कालूराम द्वारा अपील माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की गई थी जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 13.3.2019 को निर्णय पारित कर अधिनस्थ न्यायालय रामगढ पचवारा जिला दौसा का निर्णय दिनांक 14.6.2018 को निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड किया गया। अधिनस्थ न्यायालय को उक्त निर्णय पारित करते समय श्रीमान न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के द्वारा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

पारित निर्णय दिनांक 13.3.2019 के आधार पर ही निर्णय पारित करना चाहिये था परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपर न्यायालय के निर्देश को एकदम अवोईड करते हुये बिना आपत्ति का निर्णय पारित किये बिना तथा बिना विधिवत साक्ष्य ग्रहण किये बिना ही सीधे ही प्रकरण में बहस सुनकर मनमाने तरीके से निर्णय पारित कर भारी कानूनी भूल की है। अदालत मातहत को यह प्रकरण दिनांक 13.3.2019 को निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया था तथा उसी के मुताबिक निर्णय पारित करना चाहिये था जो नही किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इसी प्रकरण को पूर्व में दिनांक 14.6.2020 को पारित अपने आदेश में शुद्ध रूप से धारा 136 एल.आर. एक्ट का प्रकरण मानते हुये निणर्य पारित किया गया है तथा उसी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा द्वारा दिनांक 29.10.2020 को अपने आदेश में प्रकरण को लिपिकीय त्रुटि का नही मानकर प्रार्थना पत्र खारीज किया गया। एक ही अदालत द्वारा दो भिन्न भिन्न आदेश पारित कर भारी कानूनी भूल की है। न्यायालय द्वारा प्राथमिक आपत्ति का फैसला नही किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय को तहसीलदार द्वारा पेश जांच रिपोर्ट व जबाव दिनांक 18.3.2020 के मुताबिक निर्णय पारित करना चाहिये था। तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा अपने जवाब में स्पष्ट किया है कि एकीकरण के बाद जमाबंदी सम्वत 2036 से 2039 में हिस्सो में अशुद्धि हुई है तदानुसार शुद्धिकरण सम्वत 3032 से 3035 की जमाबंदी अनुसार होना चाहिये। उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा द्वारा राजस्व रिकार्ड के विपरीत जाकर प्रश्नगत निर्णय पारित कर भारी कानूनी भूल की है जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट् स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचारा जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय 29.10.2020 निरस्त कर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे।

6. अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 02 ने बहस के दौरान अपील के तथ्यो को अस्वीकार करते हुये मुख्य रूप से कथन किया है कि अपीलांटस् रामफूल पुत्र मांग्या व सांवलराम पुत्र कांस्या उर्फ कांशीराम द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय उप खण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा के समक्ष प्रस्तुत कर आराजी खसरा नम्बर 18 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्रम बाढ काल्यावास तहसील रामगढ पचवारा, जिला दौसा के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में चले आ रहे अशुद्ध अंकन हिस्सा 1/8 के स्थान पर शुद्धिकरण कर भौर्या, ज्ञाना, मूल्या, जयनारायण पि. नन्दा हिस्सा 1/6, रामदेव पुत्र पांच्या, जगन्नाथ पुत्र छोटू हिस्सा 1/6, गोविन्दा पुत्र चेता हिस्सा 1/6 एवं रामचन्द्र पुत्र सुखपाल हिस्सा 1/6, मांग्या पुत्र मंगला हिस्सा 1/6 , कास्या पुत्र ग्यारस्या हिस्सा 1/6 दुरूस्त किये जाने की प्रार्थना किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा ने निर्णय दिनांक 14.6.2018 राजस्व लोक अदालत कैम्प रामगढ पचवारा में पारित किया कि तहसीलदार रामगढ पचवारा की जॉच रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार रामगढ पचवारा को आदेश दिया गया कि आराजी खसरा नम्बर 18 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्रम बाढ काल्यावास तहसील रामगढ पचवारा में भौर्या, मूल्या, ज्ञाना, जयनारायण पि. नन्दा हिस्सा 1/8, कन्हैया लाल, मीठालाल, कालूराम, श्योपाल पि. मूल्या, मंगली पत्नि स्व. मूल्या हि.ब.हि. 1/8, पांची देवी पत्नि स्व. काशीराम , रामसहा , सांवलराम, श्योराम, जयराम पि. काशीराम हि.ब.हि 1/6, रामफूल पुत्र मांग्या हि. 1/6, ननगी देवी पत्नि बिरदाराम हि. 1/6, जमना पत्नि रामजी लाल हि. 1/8, चन्दा पुत्र भौर्या हि. 1/36, शम्भू लाल पुत्र रामसहाय हि. 1/12, हनुमान पुत्र उदा, रामनाथ पुत्र पांचू, बदरी पुत्र मूल्या हि.ब.हि. 1/12 शुद्ध किया जावे। उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा, जिला दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 14.6.2018 से व्यथित होकर रेस्पोडेंट संख्या 02 कालूराम पुत्र मूल्या द्वारा माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा दिनांक 14.6.2018 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई थी। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.03.2019 के द्वारा अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा, जिला दौसा दिनांक 14.6.2018 निरस्त करते हुये प्रकरण उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा को उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः स्पीकिंग आदेश पारित करने हेतु प्रेतिप्रेषित किया गया था। न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर के निर्णय की पालना करते हुये ही अधीनस्थ न्यायालय

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.10.2020 पारित किया है। जिसमें कोई त्रुटि नही है। अतः अपील अपीलांट् खारिज फरमायी जावे।

7. मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। अपीलांट् के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में पक्षकारों के मध्य मुख्य विवाद आराजी खसरा नम्बर 18 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्रम बाढ काल्यावास तहसील रामगढ पचवारा से संबंधित है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अपीलांटस् रामफूल पुत्र मांग्या व सांवलराम पुत्र कांस्या उर्फ कांशीराम द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय उप खण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा के समक्ष प्रस्तुत कर आराजी खसरा नम्बर 18 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्रम बाढ काल्यावास तहसील रामगढ पचवारा, जिला दौसा के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में चले आ रहे अशुद्ध अंकन हिस्सा 1/8 के स्थान पर शुद्धिकरण कर भौर्या, ज्ञाना, मूल्या, जयनारायण पि. नन्दा हिस्सा 1/6, रामदेव पुत्र पांच्या, जगन्नाथ पुत्र छोटू हिस्सा 1/6, गोविन्दा पुत्र चेता हिस्सा 1/6 एवं रामचन्द्र पुत्र सुखपाल हिस्सा 1/6, मांग्या पुत्र मंगला हिस्सा 1/6 , कास्या पुत्र ग्यारस्या हिस्सा 1/6 दुरूस्त किये जाने की प्रार्थना किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा द्वारा निर्णय दिनांक 14.6.2018 राजस्व लोक अदालत कैम्प रामगढ पचवारा में पारित कर तहसीलदार रामगढ पचवारा की जॉच रिपोर्ट के आधार पर अपीलांटस् का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार रामगढ पचवारा को आदेश दिया गया कि आराजी खसरा नम्बर 18 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्रम बाढ काल्यावास तहसील रामगढ पचवारा में भौर्या, मूल्या, ज्ञाना, जयनारायण पि. नन्दा हिस्सा 1/8, कन्हैया लाल, मीठालाल, कालूराम, श्योपाल पि. मूल्या, मंगली पत्नि स्व. मूल्या हि.ब. हि. 1/8, पांची देवी पत्नि स्व. काशीराम , रामसहा , सांवलराम, श्योराम, जयराम पि. काशीराम हि.ब.हि 1/6, रामफूल पुत्र मांग्या हि. 1/6, ननगी देवी पत्नि बिरदाराम हि. 1/6, जमना पत्नि रामजी लाल हि. 1/8, चन्दा पुत्र भौर्या हि. 1/36, शम्भू लाल पुत्र रामसहाय हि. 1/12, हनुमान पुत्र उदा, रामनाथ पुत्र पांचू, बदरी पुत्र मूल्या हि.ब.हि. 1/12 शुद्ध किया जावे। उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा, जिला दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 14.6.2018 से व्यथित होकर रेस्पोडेंट संख्या 02 कालूराम पुत्र मूल्या द्वारा इस न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.6.2018 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई थी। प्रस्तुत अपील पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 13.03.2019 को निर्णय पारित कर आदेश उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा, जिला दौसा दिनांक 14.6.2018 निरस्त करते हुये प्रकरण उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा को उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः स्पीकिंग आदेश पारित करने हेतु प्रेतिप्रेषित किया गया था। इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 13.03.2019 की पालना में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.10.2020 पारित कर प्रकरण लिपिकिय त्रुटि का नही होकर हिस्सो में संशोधन या शुद्ध बाबत होने, प्रकरण 40 वर्ष बाद शुद्धि हेतु पेश किये जाने और हिस्सा संशोधन का प्रभाव अन्य सहखातेदारो में अंकित हिस्से पर भी पडने पर उनको वाद में पक्षकार नही बनाये जाने की स्थिति में तथा अपीलांटस् के हिस्से में संशोधन एलआरएक्ट की धारा 136 के तहत अनुतोष दिये जाने की संभावना नही होने पर अपीलांटस् का प्रार्थना पत्र धारा 136 खारीज किया गया है।

8. हम समक्षते है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नम्बर 18 वाके ग्राम बाढ काल्यावास के संबंध में अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व वर्तमान राजस्व रिकार्ड का अवलोकन एवं अपीलांटस् द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का निस्तारण कर एवं सूने जाने के पश्चात ही निर्णय पारित किया जाना चाहिये था। अपीलान्टस् विवादित भूमि का खातेदार होने से उसे सुनवाई तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य उचित एवं न्यायिक है। उपर्युक्त विवेचन से सपष्ट है कि अपीलाधीन आदेश विधिक प्रक्रिया को पूर्ण किये बगैर तथा अपीलांटस् द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का निस्तारण किये बिना एवं बिना

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

अपीलांटस् को सुने पारित किया गया है जो बहाल रखे जाने योग्य नही है तथा प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

9. अतः परिणामतः अपील अपीलान्ट् आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.10.2020 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विवादित आराजीयात के संबंध में प्रभावित समस्त पक्षकारान की सुनवाई कर साक्ष्य ग्रहण करते हुये प्रस्तुत आपत्तियो का निस्तारण कर विधि के प्रावधानों के तहत पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

10. अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो

22/9/2021.

(बाबूलाल गोयल)
अति.सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

11. निर्णय आज दिनांक 22.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/9/2021

(बाबूलाल गोयल)
अति.सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner